D:\R.K.Samuel Folder\General\Election Letter 2017.Doc

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 27 OCT 2021

–: आदेश :–

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 1.10.2021 द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 155–वल्लभनगर जिला उदयपुर एवं 157 –धरियावद (अ.ज.जा.) जिला प्रतापगढ के अनुसार ,उप चुनाव 2021 में करवाये जा रहे है।(प्रति संलग्न है उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिनांक 30.10.2021 को होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है। साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों /उपकमों /बोर्ड/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कार्मिक जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 155–वल्लभनगर जिला उदयपुर एवं 157 –धरियावद (अ.ज.जा) जिला प्रतापगढ के मतदाता के रुप में पंजीकृत एवं राजस्थान राज्य में कार्यरत है, ऐसे कार्मिको को आवेदन करने पर मतदान हेतु मतदान दिवस दिनांक 30 अक्टूबर 2021 का संवैतनिक अवकाश दिया जावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डा. हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/ राजस्थान जयपुर।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण राजस्थान जयपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
11. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
12. संम्भागीय आयुक्त, उदयपुर।
13. जिला कलक्टर, उदयपुर /प्रतापगढ राजस्थान
14. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र कमांक 4910 दिनांक 2.10.2021 के कम में।
16. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
18. रक्षित पत्रावली

27/X/21

संयुक्त शासन सचिव

2155/AS (GAD GR-2)
08/10/2021

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग 6240 408
राजस्थान, जयपुर 04/10/21
संख्या 848218
दिनांक 6/10/21

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर

विषयः– विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 155–वल्लभनगर जिला उदयपुर एवं 157–धरियावद (अ.ज.जा.) जिला प्रतापगढ़ के उप चुनाव, 2021– मतदान दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने एवं कार्मिकों को संवैतनिक अवकाश दिये जाने बाबत्।

प्रसंग :– भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 78/2021-EPS दिनांक 01.10.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 155–वल्लभनगर जिला उदयपुर एवं 157–धरियावद (अ.ज.जा.) जिला प्रतापगढ़ के उप चुनाव की अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को जारी कर दी है, जिसके अनुसार उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को होगा।

भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि **मतदान दिवस 30 अक्टूबर, 2021 का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र** 155–वल्लभनगर जिला उदयपुर एवं 157–धरियावद (अ.ज.जा.) जिला प्रतापगढ़ **में एवं पुर्नमतदान की स्थिति में पुर्नमतदान दिवस को संबंधित मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में** सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) उदयपुर एवं प्रतापगढ़ को प्राधिकृत करावें।

यह भी अनुरोध है कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों/उपक्रमों/बोर्ड/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को निर्देशित करावें कि ऐसे कार्मिक जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 155–वल्लभनगर जिला उदयपुर एवं 157–धरियावद (अ.ज.जा.) जिला प्रतापगढ़ के मतदाता के रूप में पंजीकृत है एवं राजस्थान राज्य में कार्यरत है, ऐसे कार्मिकों को आवेदन करने पर मतदान हेतु मतदान दिवस दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 का संवैतनिक अवकाश दिया जावें।

कृपया इस संबंध में आपके द्वारा जारी आदेशों की प्रति इस विभाग को भी भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

02/10/21
(कृष्ण कुणाल)
कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा.टीप क्रमांक प.8(2)(30)निर्वा./2017/4910
जयपुर, दिनांक :– 2/10/2021

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर), उदयपुर एवं प्रतापगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

उक्त पत्र को मूल ही सा.प्र.(ग्रुप-2) वि. में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है।
7/10/21
AS
AS, GAD-2
08/10/21

(6)

4/9

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

TEL: 011-23052246
Fax 011-23052001
Website: www.eci.gov.in

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली–110001.
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-110001.

78/2021-EPS

Dated: 1st October, 2021

To

1. The Secretary to the Govt. of India, M/o Personnel Public Grievances & Pensions, Department of Personnel and Training North Block, New Delhi.

2. The Chief Secretaries of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Telangan and West Bengal.

3. The Advisor to the Administration of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.

4. The Chief Electoral Officers of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Telangana, West Bengal and UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

OSD
Inform all concerned

AdAO (X)
01.10.21

Subject:- Conduct of Bye –Elections to 03 Parliamentary and 30 Assembly Constituencies in various States– **Grant of paid holiday to employees on the day of poll** – Regarding

Sir/Madam,

The Commission has announced the Bye –Elections to fill vacancies in three (3) Parliamentary Constituencies and thirty (30) Assembly Constituencies in various States vide its Press Note dated 28th September, 2021, which is available on Commission's website http://eci.gov.in, under the head "Press Releases" at URL https://eci.gov.in/files/file/13715-schedule-for-bye-elections-in-parliamentaryassembly-constituencies-of-various-states-reg/ The date of poll for the above mentioned election has been fixed on **30.10.2021 (Saturday).**

2. In this regard, I am directed to invite your attention to Section 135B of the Representation of the People Act, 1951 which provides for the grant of paid holiday to the employees on the day of poll. The Section 135B is reproduced below:-

"135B. Grant of paid holiday to employees on the day of poll.

(1) Every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote at election to the House of the People or the Legislative Assembly of a State shall, on the day of poll, be granted a holiday.

(2) No deduction or abatement of the wages of any such person shall be made on account of a holiday having been granted in accordance with sub-section (1) and if such person is employed on the basis that he would not ordinarily receive wages for such a day, he shall nonetheless be paid for such day the wages he would have drawn had not a holiday been granted to him on that day.

(3) If an employer contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2), then such employer shall be punishable with fine, which may extend to five hundred rupees.

(4) This section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged."

3. The above provisions require that all the electors who are employees of establishments and shops including those which work on shift basis shall be granted a paid holiday on the day of poll in the Constituency where a bye-election is to be held. Further, there may be cases where a person is ordinarily resident of the Constituency and registered as an elector, may be serving/employed in an industrial undertaking or an establishment located outside the Constituency having a bye-election. It is clarified that in such a situation, even those electors including casual workers working outside the constituency concerned would be entitled to the benefit of a paid holiday extended under the Section 135B(1) of the Representation of the People Act, 1951.

4. The daily wage/casual workers are also entitled for a holiday and wages on poll day as provided in Section 135B of the R.P. Act, 1951.

5. The Commission desires that suitable instructions should be issued to all concerned and a copy thereof be endorsed to the Commission for its information and record.

6. The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully

(Sanjeev Kumar Prasad)
Secretary

Copy to concerned Zonal Sections

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

आश्विन 09, शुक्रवार, शाके 1943-अक्टूबर 01, 2021
Asvina 09, Friday, Saka 1943- October 01, 2021

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 01, 2021

संख्या एफ.3(1)(1)प्रथम/निर्वा/2021/डी–233 :–भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 1 अक्टूबर, 2021
09 आश्विन, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/राज.-वि.स./1/2021:- यतः, राजस्थान राज्य की विधानसभा में **155-वल्लभनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत का स्थान उनकी मृत्यु होने के कारण दिनांक 20 जनवरी, 2021 को रिक्त हो गया है, **और**

2. **यतः,** इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है:

3. **अतः, अब,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1) एवं धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा:-

(अ) राजस्थान राज्य के उक्त 155-वल्लभनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह **अपेक्षा करता है** कि उक्त अधिनियम और **तद्धीन** बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित **निर्धारित करता है:-**

(क) नाम-निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 08 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार);

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 11 अक्टूबर, 2021 (सोमवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने हेतु अंतिम तारीख, 13 अक्टूबर, 2021 (बुधवार);

(घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 30 अक्टूबर, 2021 (शनिवार);

(ड) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 05 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार);

412

(ङ) **07:00 बजे पूर्वाहन से 06.00 बजे अपराहन** तक का समय, **ऐसे समय के रूप में नियत करता है** जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 1st October, 2021
9 Asvina, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/RJ-LA/1/2021 :- **WHEREAS,** the seat of Sh. Gajendra Singh Shaktawat, in the Legislative Assembly of the State of Rajasthan, elected from **155-Vallabhnagar** Assembly Constituency, has become vacant on 20th January, 2021 by reason of his death; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE,** in pursuance of sub-section (1) of section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: –

(A) **Calls upon** the said 155-Vallabhnagar Assembly Constituency in the State of Rajasthan, to elect, before the 5th November, 2021 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **appoints,** with respect to the said election, -

(a) the 8th October, 2021 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 11th October, 2021 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 13th October, 2021 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 30th October, 2021 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 5th November, 2021 (Friday), as the date before which the election shall be completed; **and**

(C) **fixes the hours** from **7.00 AM to 6.00 PM,** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

RAHUL SHARMA,
PRINCIPAL SECRETARY ,
ELECTION COMMISSIONOF INDIA.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।

414

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

आश्विन 09, शुक्रवार, शाके 1943-अक्टूबर 01, 2021
Asvina 09, Friday, Saka 1943- October 01, 2021

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 01, 2021

संख्या एफ.3(1)(1)प्रथम/निर्वा/2021/डी–234 :–भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 1 अक्टूबर, 2021
09 आश्विन, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/राज.-वि.स./2/2021:- यतः, राजस्थान राज्य की विधानसभा में **157-धरियावद (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री गौतम लाल मीणा का स्थान उनकी मृत्यु होने के कारण दिनांक 19 मई, 2021 को रिक्त हो गया है, **और**

2. **यतः**, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है:

3. **अतः, अब,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वाराः-

(अ) राजस्थान राज्य के उक्त 157-धरियावद (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह **अपेक्षा करता है** कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, राजस्थान राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित **निर्धारित करता है**:-

(क) नाम-निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 08 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार);

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 11 अक्टूबर, 2021 (सोमवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने हेतु अंतिम तारीख, 13 अक्टूबर, 2021 (बुधवार);

(घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 30 अक्टूबर, 2021 (शनिवार);

(ड) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 05 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार);

(इ) **07:00 बजे पूर्वाहन से 06.00 बजे अपराह्न** तक का समय, **ऐसे समय के रूप में नियत** करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 1st October, 2021
9 Asvina, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/RJ-LA/2/2021 :- **WHEREAS**, the seat of Sh. Gautam Lal Meena, in the Legislative Assembly of the State of Rajasthan, elected from **157-Dhariawad (ST)** Assembly Constituency, has become vacant on 19th May, 2021 by reason of his death; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE,** in pursuance of sub-section (1) & (2) of section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: –

(A) Calls upon the said 157-Dhariawad (ST) Assembly Constituency in the State of Rajasthan, to elect, before the 5th November, 2021 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Tribes of Rajasthan State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **appoints,** with respect to the said election, -

(a) the 8th October, 2021 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 11th October, 2021 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 13th October, 2021 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 30th October, 2021 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 5th November, 2021 (Friday), as the date before which the election shall be completed; **and**

(C) **fixes the hours** from **7.00 AM to 6.00 PM,** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

RAHUL SHARMA,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSIONOF INDIA.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।